

कार्यालय अंचल अधिकारी, गाण्डेय (गिरिडीह)

अभिलेख संख्या- 23/2020-21
अभिलेख का प्रकार- विविध वाद

श्री प्रमेश्वर हेम्ब्रोम,
पिता-दिनु हेम्ब्रोम,
मौजा-बेलाटॉड

आदेश - फलक

15/03/22 प्रमेश्वर हेम्ब्रोम के आवेदन पत्र पर यह वाद प्रारंभ किया गया, उन्होंने मौजा-बेलाटॉड, थाना नं०-286, खाता नं०-15, प्लॉट नं०-322 एवं प्लॉट नं०-328, रकवा क्रमशः-38डी० एवं 12डी०, कुल रकवा 50डी० तथा खाता नं०-15, प्लॉट नं०-328, रकवा-31डी० भूमि से संबंधित केवाला, शुद्धि पत्र एवं लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न कर ऑनलाईन पंजी-II में दर्ज करने का अनुरोध किया है।

आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र की जाँच संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक से कराई गई, उनके प्रतिवेदनानुसार मौजा-बेलाटॉड, थाना नं०-286, खाता नं०-15, प्लॉट नं०-322 एवं प्लॉट नं०-328, रकवा क्रमशः-38डी० एवं रकवा-43डी० ऑनलाईन खतियान में कंधु साहु, वल्द प्रसाद भगत, जाति-तेली के नाम से रैयती खाते की भूमि अंकित है। संबंधित भूमि को केवाला सं०-2228, दिनांक 22.06.2017 द्वारा थाना नं०-286, खाता नं०-15, प्लॉट नं०-322 एवं प्लॉट नं०-328, रकवा क्रमशः-38डी० एवं रकवा-12डी० कुल रकवा-50डी० एवं केवाला संख्या 2229, दिनांक 22.06.2017 से खाता नं०-15, प्लॉट नं०-328, रकवा-31डी० खागो महतो, पिता-स्व० छोटे महतो से खरीद की गई है। खागो महतो को दिनांक 22.04.1950 के द्वारा वजरीय केवाला से हासिल है जो खाता नं०-15/1 एवं खाता नं०-25, कुल रकवा-10.78ए० का जमाबंदी पंजी-II के पृष्ठ संख्या-61, भाग-1 पर अंकित है।

साथ ही उल्लेख किया गया है कि प्रमेश्वर हेम्ब्रोम, पिता-दिनु हेम्ब्रोम के द्वारा खरीदगी जमीन का दाखिल-खारिज वाद संख्या-180/2016-17 एवं दाखिल-खारिज वाद संख्या-181/2016-17 के अनुसार नामांतरण शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया। मूल पंजी-II के पृष्ठ संख्या-91, भोलुम- III एवं पंजी-II के पृष्ठ संख्या-92, भोलुम-III पर जमाबंदी कायम कर प्राधिकार कॉलम में दाखिल-खारिज वाद संख्या-596/2016-17 एवं 597/2016-17 पंजी-II में अंकित किया गया है।

आवेदक का पक्ष सुनने एवं प्रस्तुत दरतावेजो/राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन अवलोकनोपरान्त पाया की इनके द्वारा खरीदगी भूमि मौजा-बेलाटॉड, थाना नं०-286, खाता नं०-15, प्लॉट नं०-322 एवं प्लॉट नं० 328, रकवा क्रमशः 38डी० एवं रकवा-12डी० कुल रकवा-50डी० तथा खाता नं०-15, प्लॉट नं०-328, रकवा-31डी० भूमि का निर्गत शुद्धि पत्र का मिलान कार्यालय में संधारित पंजी-27 से किया गया जिसमें आवेदक का नाम अंकित नहीं है। साथ ही साथ मूल पंजी-II में अंकित दाखिल-खारिज वाद संख्या एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत शुद्धि पत्र में अंकित दाखिल-खारिज वाद संख्या में भिन्नता पाई गई।

अतएव उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में श्री प्रमेश्वर हेम्ब्रोम का आवेदन पत्र को अरदीकृत किया जाता है। विचारणीय तथ्य यह है कि आवेदक द्वारा आवेदित भूमि सर्वे रैयती खाते की है, जो क्रय तिथि से दखलकार है, लेकिन प्रश्नगत भूमि का दाखिल-खारिज सक्षम प्राधिकार से नहीं किया गया है। जिसका विधिवत नामांतरण किया जाना न्यायोचित है। ऐसी परिस्थिति में श्री प्रमेश्वर हेम्ब्रोम, पिता-दिनु हेम्ब्रोम, मौजा-बेलाटॉड, थाना संख्या-286 का मूल पंजी II के पृष्ठ संख्या 91/3 तथा पृष्ठ संख्या 92/3 में अंकित जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता गिरिडीह को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
गाण्डेय।

अंचल अधिकारी,
गाण्डेय।